कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccfdevjhk@jharkhandmail.gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813

झारखण्ड सरकार

पत्रांक : 01/यो0बजट–21/2017–391 दिनांक :– 17.03.2018

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पाकुड वन प्रमंडल/देवघर वन प्रमंडल/गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल/मेदिनीनगर वन प्रमंडल/बोकारो वन प्रमंडल/सरायकेला वन प्रमंडल/गोड्डा वन प्रमंडल/वन्यप्राणी प्रमंडल, राँची।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन प्रबंधन सुविधायें" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत वनरक्षी आवास (चार फ्लैट का एक यूनिट) का निर्माण, वन भवनों का विशेष मरम्मति एवं मोरम पथ का निर्माण कार्य हेतु कुल **रू0 482.170 लाख (चार करोड़ बेरासी लाख सत्रह हजार रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–4/यो0ब0–20/2017–50/स्वी0 व0प0 दिनांक–15.03.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या–04/यो0ब0–20/2017–100/आ0 व0प0 दिनांक–16.03.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 101–वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष–15–वन प्रबंधन सुविधायें योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 482.170 लाख (चार करोड़ बेरासी लाख सत्रह हजार रुपये) मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101150103	192.868
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101150323	289.302
कुल :–		**482.170**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1 एवं 2** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

D:\2017-18\Development\Sub-Allotment 2017-18\OA\FMF (OA)\FG Quarter\FMF 2017-18

3. यह राशि तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि है, जिसका उप–आवंटन किया जा रहा है।

4. इस योजना का कोड संख्या–19S240601796150103 एवं 19S240601796150323, है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

5. वनरक्षी गृह निर्माण के लिए एक ही स्थान पर 4 वनरक्षी गृहों के दो मंजिला भवन के एक युनिट की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन की प्रति **अनुलग्नक–4** पर द्रष्टव्य है। प्रत्येक युनिट का निर्माण वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में पूरा किया जाएगा।

6. वनरक्षी गृहों के निर्माण हेतु स्थल का चयन संबंधी इस कार्यालय के पत्रांक–274 दिनांक–26.02.2018 द्वारा निर्गत निदेशों का अनुपालन सक्षम स्तर से करने के पश्चात कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

7. मेदिनीनगर जिला के पाटन प्रखण्ड में मोरम वन पथ के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कर Executive Engineer Rural Works Division, Medininagar के deposit work में जमा किया जाएगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन् का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

8. राँची वन्यप्राणी प्रमंडल के लिए वन पदाधिकारी आवास संख्या–11 एवं 12 को विशेष मरम्मति हेतु 31.353 लाख रुपये का उप–आवंटन निर्गत किया जा रहा है। जिसका व्यय तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जाएगा। तकनीकी स्वीकृति प्रदत प्राक्कलन की एक प्रति इस कार्यालय को समर्पित की जाएगी।

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

11. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी–पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

12. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम सं0–174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरुप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. वनरक्षी गृहों के 2 मंजिले भवन के 1–यूनिट के चार आवास के निर्माण से संबंधित प्राक्कलन पर अधिक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास, विशेष अंचल राँची द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है। मेदिनगर के पाटन प्रखण्ड में मोरम पथ के निर्माण कार्य संबंधी कार्यों के प्राक्कलन पर ग्रामीण कार्य विभाग के सक्षम स्तर के पदाधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

15. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सिमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17. उक्त स्वीकृति राशि के विरुद्ध निर्माण कार्य से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या– 3916 दिनांक–13.09.2012 का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा।

18. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

19. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

22. स्वीकृत्यादेश में निहित समस्त दिशा–निर्देशों का ससमय अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।

23. इस राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–301 दिनांक–11.03.2015 के आलोक में निर्गत किया गया है।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–21/2017–**391 दिनांक– 17.03.2018

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ मेदिनीनगर/ बोकारो/जमशेदपुर/मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/देवघर/ मेदिनीनगर/गढ़वा/ बोकारो/जमशेदपुर/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–21/2017–**391 दिनांक– 17.03.18

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, पाकुड़/देवघर/गढ़वा/ मेदिनीनगर/बोकारो/सरायकेला/गोड्डा/डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली वन प्रबंधन सुविधायें (अन्य व्यय) के अंतर्गत वनरक्षी आवास (चार फ्लैट का एक यूनिट) हेतु प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र0	प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य यूनिट की संख्या (चार फ्लैट का एक यूनिट)	वित्तीय वर्ष 2017–18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
1	पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़	2	14.872	22.308	**37.180**
2	देवघर वन प्रमंडल, देवघर	2	14.872	22.308	**37.180**
3	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल,	2	14.872	22.308	**37.180**
4	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल,	2	14.872	22.308	**37.180**
5	मेदिनीनगर वन प्रमंडल,	2	14.872	22.308	**37.180**
6	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	2	14.872	22.308	**37.180**
7	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	3	22.308	33.462	**55.770**
8	गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा	2	14.872	22.308	**37.180**
	योग :–	**17**	**126.412**	**189.618**	**316.030**

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली वन प्रबंधन सुविधायें (अन्य व्यय) के अंतर्गत वन भवनों का विशेष मरम्मति कार्य हेतु प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0	प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2017–18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
1	वन्यप्राणी प्रमंडल , राँची	वन पदाधिकारी आवास संख्या–11 एवं 12 का विशेष मरम्मति	12.540	18.813	**31.353**
	योग :–		**12.540**	**18.813**	**31.353**
	सकल योग :–		**138.952**	**208.431**	**347.383**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

D:\2017-18\Development\Sub-Allotment 2017-18\OA\FMF (OA)\FG Quarter\FMF 2017-18

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन प्रबंधन सुविधायें" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत मोरम पथ का निर्माण हेतु प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रू0 लाख में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कार्य विवरणी	पथ का नाम	भौतिक लक्ष्य (कि0 मी0 में)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii			v		vi
1	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	मेदिनीनगर जिला अन्तर्गत पाटन प्रखण्ड में मोरम पथ का निर्माण	कतरी से बुका साइनबोर्ड (भाग–1)	3.00	10.000	14.999	24.999
			कतरी से बुका साइनबोर्ड (भाग–2)	3.00	9.921	14.881	24.802
			साईनबोर्ड से चेतमा हुलसी (भाग–1)	3.20	9.826	14.739	24.565
			साईनबोर्ड से चेतमा हुलसी (भाग–2)	3.80	9.856	14.784	24.640
			बुढ़ी से बुका साइन बोर्ड (भाग–1)	3.00	8.133	12.199	20.332
			बुढ़ी से बुका साइन बोर्ड (भाग–2)	2.00	6.180	9.269	15.449
योग :–				**18.00**	**53.916**	**80.871**	**134.787**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है ।

पत्र संख्या - 01/YB-21/2017/391

दिनांक - 17-Mar-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Centeral Scheme : NA	106502	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER	1,487,200.00 रुपये चौदह लाख सित्यासी हजार दो सौ
2	S 19 240601101150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Centeral Scheme : NA	106503	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	1,487,200.00 रुपये चौदह लाख सित्यासी हजार दो सौ
3	S 19 240601101150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Centeral Scheme : NA	106504	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	1,487,200.00 रुपये चौदह लाख सित्यासी हजार दो सौ

योग: 4,461,600.00

क्रमिक योग: रुपये चवालीस लाख इकसठ हजार छः सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDI.PCCF(DEV.) JHARKHAND

RANCHI

164.100.150.21

Run Date: 17/3/2018

पत्र संख्या - 01/YB-21/2017/391 दिनांक - 17-Mar-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601101150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Centeral Scheme : NA	106505	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	1,487,200.00 रुपये चौदह लाख सित्यासी हजार दो सौ
5	S 19 240601101150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Centeral Scheme : NA	106506	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	6,878,800.00 रुपये अडसठ लाख अठहत्तर हजार आठ सौ
6	S 19 240601101150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Centeral Scheme : NA	106507	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	1,487,200.00 रुपये चौदह लाख सित्यासी हजार दो सौ

योग: 9,853,200.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड तीरयालीस लाख चौदह हजार आठ सौ 14,314,800.00

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.PCCF(DEV) JHARKHAND

RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-21/2017/391 दिनांक - 17-Mar-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601101150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Centeral Scheme : NA	106509	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN	2,230,800.00 रुपये बाइस लाख तीस हजार आठ सौ
8	S 19 240601101150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Centeral Scheme : NA	106510	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	1,487,200.00 रुपये चौदह लाख सित्यासी हजार दो सौ
9	S 19 240601101150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Centeral Scheme : NA	106511	DRNFWL049 KAMLESH PANDEY. IFS DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	1,254,000.00 रुपये बारह लाख चौपन हजार

योग: 4,972,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड बयानवे लाख छियासी हजार आठ सौ 19,286,800.00

(SHRI SATNAM SINGH

ADDl.P[illegible]HAND

RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-21/2017/391 दिनांक - 17-Mar-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601101150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Centeral Scheme : NA	106513	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER	2,230,800.00 रुपये बाइस लाख तीस हजार आठ सौ
11	S 19 240601101150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Centeral Scheme : NA	106514	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	2,230,800.00 रुपये बाइस लाख तीस हजार आठ सौ
12	S 19 240601101150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Centeral Scheme : NA	106516	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	2,230,800.00 रुपये बाइस लाख तीस हजार आठ सौ

योग: 6,692,400.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड उनसठ लाख उन्नासी हजार दो सौ 25,979,200.00

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDI.PS(P) DAW JHARKHAND

RANCHI

164.100.150.21

Run Date: 17/3/2018

पत्र संख्या - 01/YB-21/2017/391

दिनांक - 17-Mar-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601101150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Centeral Scheme : NA	106517	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	2,230,800.00 रुपये बाइस लाख तीस हजार आठ सौ
14	S 19 240601101150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Centeral Scheme : NA	106519	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	10,317,900.00 रुपये एक करोड तीन लाख स त्र ह हजार नौ सौ
15	S 19 240601101150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Centeral Scheme : NA	106520	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	2,230,800.00 रुपये बाइस लाख तीस हजार आठ सौ

योग: 14,779,500.00

क्रमिक योग: 40,758,700.00

रुपये चार करोड सात लाख अठावन हजार सात सौ

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.PCCF(HOFF)JHARKHAND

RANCHI

164.100.150.21

Run Date: 17/3/2018

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601101150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Centeral Scheme : NA	106521	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN	3,346,200.00 रुपये तैतीस लाख छयालीस हजार दो सौ
17	S 19 240601101150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Centeral Scheme : NA	106522	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	2,230,800.00 रुपये बाइस लाख तीस हजार आठ सौ
18	S 19 240601101150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Centeral Scheme : NA	106523	DRNFWL049 KAMLESH PANDEY. IFS DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	1,881,300.00 रुपये अठारह लाख इक्कयासी हजार तीन सौ

योग: 7,458,300.00

क्रमिक योग: रुपये चार करोड बयासी लाख स त्र ह हजार 48,217,000.00

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.PCCF DEV JHARKHAND

RANCHI